न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 198/2016/223 आर टी ए

1. भादरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. सावित्री पुत्री भादरसिंह पत्नि सवाई सिहं जाति राजपूत निवासी न्योलीकला तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
2. हनुमानसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीश पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. जसवंत पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. किरसन पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सुभाष पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. शंकरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. भंवरीदेवी पुत्री भादरसिंह पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी न्यागल तहसील भादरा।
9. बिमला पुत्री भादरसिंह पत्नि बलवीरसिंह जाति राजपूत निवासी न्यागल तहसील भादरा।
10. तहसीलदार एवं उप पंजीयक भादरा।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 150/2013 अनवानी सावित्री बनाम भादरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10

निर्णय दिनांकः–07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं. 93/78 की कुल 14.068 है0 मे 626 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट के नाम दर्ज है व चक 9 जेएसएल के खाता सं. 208/214 की कुल 2.277 है0 मे 90 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है जो प्रेमसिंह से विरासतन प्राप्त हुई जिसमे वादिया रेस्पो0 सं. 1 का 1/10 हिस्सा है तथा शेष 1/10–1/10 हिस्सा है तथा 1/10–1/10 की घोषणा की जावे। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली वास्ते तनकीयात विचाराधीन थी किन्तु वादिया ने दिनांक 22.06.2016 को लोक अदालत मे बिना राजीनामा के ही एकपक्षीय तौर पर वाद डिक्री करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि कैम्प कोर्ट मे सिर्फ राजीनामा से निर्णय किये जाते है न कि विवादित पत्रावली पर जब पत्रावली तनकीयात कायम हेतु थी तो विचारण न्यायालय ने बिना राजीनामा प्रपत्र भराये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। वकील अपीलांट को भी कैम्प कोर्ट के संबंध मे कोई सूचना नही दी गई। रेस्पो0 सं. 1 का विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा ही नही है और ना ही रेस्पो0 सं. 1 ने साक्ष्य या दस्तावेजो से साबित किया। विचारण न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर नही दिया गया इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 का है जिसका ज्ञान अपीलांट को नही था दिनांक 17.08.2016 को अपीलांट अपने वकील के पास गया तो पत्रावली मे तारीख पेशी नोट नही है, कहा गया। फिर अदालत मे पता किया तो पता चला कि पत्रावली मे दिनांक 22.06.16 को निर्णय पारित कर दिया है। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 के दादा एवं अपीलांट के पिता प्रेमसिंह के नाम से दर्ज थी जो विरासतन अपीलांट को प्राप्त हुई इसलिये वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 वादिया का जन्म से हक हिस्सा निहित है जिसके आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक व हिस्सानुसार घोषणा का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलांट जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होनी सिद्ध है, के आधार पर वाद वादिया डिक्री किया गया है जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि वादग्रस्त भूमि पैतृक नही है तथा वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है, कतई गलत निराधार है। जबकि अपीलांट/प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा की मद सं. 1 व 2 स्वीकार की गई है तथा दावा की मद सं. 2 मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 भादरसिंह को अपने पिता प्रेमसिंह से विरासतन प्राप्त हुई जो जद्दी जायदाद है जिसमे वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 प्रत्येक का 1/10–1/10 हक व हिस्सा है, अंकित की गई। इस प्रकार अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि को विरासतन प्राप्त होना एवं रेस्पो0 सं. 1 का हक व हिस्सा होना स्वीकार किया गया है। अपीलांट जवाबदावा मे वर्णित कथनो से विबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 10 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 के दादा एवं अपीलांट के पिता प्रेमसिंह के नाम से दर्ज थी जो विरासतन अपीलांट के नाम दर्ज हुई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात साबित है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 वादिया का जन्म से हक हिस्सा निहित है जिसके आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक व हिस्सानुसार घोषणा का अनुतोष चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलांट जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा की मद सं. 1 व 2 स्वीकार किया, दावा की मद सं. 2 मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 भादरसिंह को अपने पिता प्रेमसिंह से विरासतन प्राप्त हुई जो जद्दी जायदाद है जिसमे वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 9 प्रत्येक का 1/10–1/10 हक व हिस्सा है, अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को विरासतन प्राप्त होना एवं रेस्पो0 सं. 1 का हक व हिस्सा होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 198/2016/223 आर टी ए

1. भादरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. सावित्री पुत्री भादरसिंह पत्नि सवाई सिहं जाति राजपूत निवासी न्योलीकला तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
2. हनुमानसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीश पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. जसवंत पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. किरसन पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. सुभाष पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. शंकरसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. भंवरीदेवी पुत्री भादरसिंह पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी न्यागल तहसील भादरा।
9. बिमला पुत्री भादरसिंह पत्नि बलवीरसिंह जाति राजपूत निवासी न्यागल तहसील भादरा।
10. तहसीलदार एवं उप पंजीयक भादरा।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 150/2013 अनवानी सावित्री बनाम भादरसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट, श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पो0, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 10 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 07.09.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official